

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्तभवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष 0141-2740837, फैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/ 525 दिनांक:- 03-02-2026

कार्यालय आदेश

सुश्री दीपा सैनी, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) रोल नं. 728922 कार्यालय विशिष्ट न्यायाधीश, सीबीआई कैसेज क्रम-05, जयपुर महानगर-प्रथम के पत्र क्रमांक 240 दिनांक 25.04.2025 द्वारा अग्रेषित प्रार्थना पत्र के आधार पर एवं वित्त (राजस्व) विभाग की की आई डी संख्या 252500278 दिनांक 24.12.2025 से प्राप्त सहमति के उपरांत राजस्थान सेवा नियम खण्ड-प्रथम के नियम 96 एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 व दिनांक 22.02.2021 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 28.04.2025 से 20.06.2025 तक कुल 54 दिवस

उक्त असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज सुश्री दीपा सैनी, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें। इनकी परिवीक्षाधीन अवधि उक्तानुसार स्वीकृत असाधारण अवकाश की अवधि तक बढ़ायी जावेगी।

उक्त निदेशक महोदया से अनुमोदित है।

(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/ 525 दिनांक:- 03-02-2026
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट न्यायाधीश, सीबीआई कैसेज क्रम-05, जयपुर महानगर-प्रथम
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
3. संयुक्त निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्टी करने हेतु।
4. सुश्री दीपा सैनी, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) रोल नं. 728922 कार्यालय विशिष्ट न्यायाधीश, सीबीआई कैसेज क्रम-05, जयपुर महानगर-प्रथम
5. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/गोपनीय शाखा/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

Signature valid

Digitally signed by Seema Kaushal
Designation: Joint Director
Date: 2026.02.03 12:18:08 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20231523
eSign 1.0

